

28



न्यायालय राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश ग्वालियर (म०प्र०)

प्रकरण क्रमांक- 12013/निगरानी R 3118-III/13

श्री. सु. वि. व्यास को  
द्वारा आज दि. 14/8/13 को  
प्रस्तुत

सु.  
क्लर्क ऑफ कोर्ट, 4-8-13  
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

खेता कोली पुत्र श्री ग्यासी, उम्र-45  
वर्ष, व्यवसाय-कृषि, निवासी-ग्राम  
करही तहसील नरवर जिला शिवपुरी  
(म०प्र०)

-----आवेदक

बनाम

1. मध्य प्रदेश शासन द्वारा कलेक्टर  
जिला शिवपुरी (म०प्र०)
2. हरदयाल पुत्र श्री कलुआ, उम्र-50  
वर्ष, व्यवसाय-कृषि, निवासी-ग्राम  
करही तहसील नरवर जिला शिवपुरी  
(म०प्र०)

-----अनावेदकगण

निगरानी आवेदन-पत्र अन्तर्गत धारा 50 मध्य प्रदेश भू-राजस्व  
संहिता 1959 विरुद्ध आदेश दिनांक 27.07.2013 पारित  
न्यायालय तहसीलदार परगना नरवर जिला शिवपुरी प्रकरण  
क्रमांक-265/2012-2013/अ-12.

माननीय न्यायालय,

आवेदक की ओर से निगरानी निम्न प्रकार प्रस्तुत है:-

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य:-


- 1- यहकि, अनावेदक क्रमांक-2 के स्वत्व, स्वामित्व व  
आधिपत्य की कृषि भूमि सर्वे क्रमांक-4165, 4174,  
4175, 4177, 4178, 4179, 4180, 4181 के

## राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

## अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-3118-तीन/13

जिला - शिवपुरी

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
1/4/2019	<p>आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री बी.एस. धाकड़ उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी तहसीलदार के सीमांकन आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत तहसीलदार द्वारा पारित सीमांकन आदेश के विरुद्ध सुनवाई अनुविभागीय अधिकारी द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु अनुविभागीय अधिकारी को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 20.06.2019 को अनुविभागीय अधिकारी नरवर जिला शिवपुरी के समक्ष उपस्थित हों।</p> <p style="text-align: right;"> सदस्य</p> <p><u>अनुविभागीय अधिकारी नरवर</u></p>	